205

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

1. जिला. जयपुर थाना- प्रधान आरक्षी केंन्द्रए भ्र. नि. ब्यू. जयपुर, वर्ष-2025 प्र.इ.रि.मं....09/2026.... दिनांक...07/11/2026

2. (1) अधिनियमः-पीसी एक्ट 1998(यथा संशोधित 2018) धारायें 7(सी),13(1)(A),13(2) पीसी एक्ट1988(यथा संशोधित 2018)

(2) अधिनियमः-भादस धारायें 120 बी

(3) अधिनियम.................. धारायें................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें- आरटीपीपी एक्ट (2012) की धारा 41

(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.115.समय...9:30 P.M..

(ब) अपराध घटने का दिन.20.03.2020समय 10.30 एएम से 31.07.2022 तक समयः 05.45 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..........समय......एएम के बाद ....

4. सूचना की किस्मः- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थलः-जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- 4 किलोमीटर बजानिब पश्चिम

(ब) बीट संख्या..................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...............जिला..........

6. (प) परिवादी /सुचनाकर्ताः- जरिये सरकार श्री सुनील सिहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण जयपुर।

(अ) नाम-

(ब) पिता/पति का नाम-

(स) जन्म तिथी-

(द) राष्ट्रीयता-भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या..................जारी होने की तिथि

जारी होने की जगह..........................

(र) व्यवसाय-

(ल) पता-

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का व्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित-

(1)श्री सांवतराम पुत्र श्री शिव नारायण उम्र-60 साल निवासी- मु.पो.नयाबास वाया नीमकाथाना जिला सीकरसहायक लेखाधिकारी कॉंनफैड (सेवानिवृति 30.06.2025), (2) श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री डी.के.शर्मा उम्र-64 साल निवासी- 33/151 वरुण पथ मानसरोवर जयपुर प्रबंधक (ना.आपुर्ति), कॉंनफैड, (सेवानिवृति दिनांक 31.12.2021 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (3) श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र श्री मानसिंह उम्र- 59 साल बापना निवासी- 246,बिंदुसार अपार्टमेंट फ्लेट नं.एफ-03 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर प्रबंधक नागरिक आपुर्ति कॉंनफैड, (4) श्रीमती प्रतिभा सैनी पुत्री श्री राजेन्द्र सैनी उम्र-63 साल निवासी- एफ-127 रामनगर विस्तार एक्सटेशंन स्वेज फार्म सोडाला जयपुर हाल सहायक प्रबंधक, (सेवानिवृत दिनांक 31.08.2022) कॉंनफैड, (5)श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आर.एस.शर्मा उम्र- 63 साल निवासी-803 मनसाईन सिम्पनी जयसिंहपुरा भाकरोटा जयपुर प्रबंधक (आयोजना) (सेवानीवृत दिनांक 31.10.2022 संघ सेवा से सेवानिवृत), कॉंनफैड, (6) श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व.श्री नारायण सिंह शेखावत उम्र-62 साल निवासी -प्लांट नम्बर 198 ऑफिसर्स केम्पस हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर प्रबंधक(सेवानिवृत दिनांक 30.04.2023), कॉंनफैड, (7) श्री रामधन बैरवा पुत्र श्री गोकिवन्द नारायण बैरवा उम्र-58 साल निवासी -लक्ष्मी जनरल स्टोर ग्राम भांडारेंज दोसा , गोदाम कीपर, मार्केटिंग अनुभाग, कॉंनफैड, (8) श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री भानुप्रकाश शर्मा उम्र-56 साल निवासी 43 विनोबा कॉलोनी पांच बत्ती सी-स्कीम जयपुर, सुपरवाईजर मार्केटिंग अनुभाग कॉंनफैड(सेवानिवृत दिनांक 30.11.2019 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (9) श्री कवलजीत सिह राणावत (10) श्री मधुर यादव (11) श्री त्रिभुवन यादव (12) श्री सतीश मुलचंद व्यास (13) श्री दिपक व्यास (14) श्री रितेश यादव (15) श्री शैलेश सक्सैना रिजनल मैनेजर केन्द्रीय भण्डार (16) श्री बी.सी.जोशी डिप्टी मैनेजर केन्द्रीय भणडार (17) चन्दन सिंह असि.मैनेजर केन्द्रीय भणडार, (18) मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, (19) मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, (20) मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज मैसर्स (21) साई ट्रेडिग के प्रोपराईटर व अन्य

8. परिवादी/सुचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारणः-

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य. दो हजार करोड

11. पंचनामा/यु.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विपय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित...तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2614-15 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा शिकायत आर.न. 3888 दिनांक 27.06.2024 के संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय भारत सरकार बीएसएलएल विल्डिंग सेक्टर 17 चंडीगढ जरिये महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा से प्राप्त शिकायत की जांच पर प्राथमिक संख्या 25/24 दिनांक 28.06.2024 पंजीबद्ध की गई। जांच से निम्न तथ्य पाये गये-

कोविड-19 के कारण विधालय बंद रहने की स्थिति में संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्रों 1-2/2020 डेस्क (एमडीएम) दिनांक 20.3.2020, 29.4.2020 एवं 31.7.2020 द्वारा कोविड-19 के अनतर्गत मिड डे मिल योजनान्तर्गत विधार्थियो को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में सुखा राशन (गेहूं/चावल) एवं दाल, तेल आदि वितरण के लिए निर्देशित किया गया।

कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण स्कूलों में मध्यान्ह भोजन पकाना संभव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी (मार्च 2020) कि खाद्यान्न के अलावा, प्रत्येक छात्र को पके हुए भोजन के बदले खाना पकाने की लागत भी प्रदान की जानी चाहिए। एमडीएम नियम 2015 के नियम 9 में परिकल्पना की गई है कि यदि किसी भी स्कूल दिवस पर एमडीएम प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार 'खाद्य़ सुरक्षा भत्ता' का भुगतान करेगी।

कोविड-19 के दौरान में दिनांक 14 मार्च 2020 से विद्यालय बंद होने के कारण राज्य में 66341 शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 1 से 8 के 62.67 लाख विद्यार्थियो को खाद्यान्न के रूप में गेहूं/चावल तथा कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि से दाल, तेल आदि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान फुड सिक्योरिटी एक्ट के तहत किया गया।

विधालय खुले रहने की स्थिति में कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से दाल, तेल, सब्जिया, मसाले आदि क्रय कर गरम भोजन विद्यार्थियो को उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत प्रति विद्यार्थी प्रति कुकिंग कन्वर्जन राशि कक्षा 01 से 05 के लिए 4.97 रूपये एवं कक्षा 06 से 08 के लिए 7.45 रूपये तत्समय निर्धारित थी।

तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 9.6.2020 को आयोजित वैठक मे कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि मे दाल का क्रय नेफेड से करने का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23 जनवरी 2017 के अनुसार नेफेड से बिना निविदा सीधे क्रय करने हेतु पत्रावली पर अनुमोदन बाबत प्रकरण वित्त विभाग को भेजा गया। वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान न करते हुये पत्रावली 02 जुलाई 2020 को "राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 28 में विहित उपापन पद्धतियों में से किसी एक उपयुक्त पद्धति का चयन कर राज्य हित मे शामी वित्तीय नियमों की पालना करते हुये उपापन की कार्यवाही स्वयं उपापन संस्था द्वारा की जानी है। इसके लिए वित्त विभाग का अनुमोदन अपेक्षित नही है"टिप्पणी के साथ लौटा दी गयी।

इसके पश्चात् मिड डे मिल योजनान्तगत कोविड-19 के अन्तगत विद्यालय बंद रहने की अवधि में कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट /कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि से दाल, तेल आदि वितरण

करने के संबंध में निर्णय हेतु पुनः तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 7.8.2020 को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि पात्र विद्यार्थियो को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्रों 1-2/2020 डेस्क (एमडीएम) दिनांक 21.8.2020, 7.9.2020 एवं 9.9.2020 द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत विद्यार्थियो को मिड डे मिल योजनान्तगत कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट राशि को बैंक खाते में भुगतान करने के स्थान पर दाल, तेल आदि के वितरण के निर्देश प्रदान किये गये।

भारत सरकार के दिशा निर्देशो के क्रम मे तत्कालीन शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किये जाने के प्रस्ताव पर तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार के निर्देशो की अनुपालना आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानो के तहत की जाये तथा आवश्यकतानुरूप वित्त विभाग से दिशा निर्देश प्राप्त किये जाये।

राज्य के समस्त विद्यालयो एवं विद्यार्थियो तक समान दरों पर एवं उच्च गुणवत्ता की सामग्री भारत सरकार के दिशा निर्देशो के तहत शीघ्र पहुंचाया जाना अपेक्षित था।

तत्कालीन राज्य सरकार के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा भी इसी के अनुरूप कॉनफेड/राजस्थान खाद्य आपूर्ति निगम/भारतीय खाद्य निगम के उपलब्ध प्रस्तावो पर आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

उक्त के संबंध में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लि. (तिलम संघ) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. (राजफैड), राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) जयपुर एवं राजस्थान खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (आरएसएफसीएससी) से एक साथ दाल, तेल मसालो के कॉम्बो पैक विद्यालयो तक डिलीवरी करने के संबंध में सहमति चाही गई थी। जिस पर तिलम संघ, राजफैड और आरएसएफसीएससी द्वारा एक साथ दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैक की विद्यालयो तक डोर स्टेप डिलीवरी करने मे असमर्थता जताई गई। ओ

राजस्थान राज्य सरकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर (कॉनफैड) द्वारा एक साथ दाल, तेल, मसालों के कॉम्बो पैक की विद्यालयो तक डोर स्टेप डिलीवरी करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपनी सहमति दी गई है।

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 135 दिनांक 4.9.2013 के आईटम संख्या 23 के अनुसार ग्रोसरी हेतु कॉनफैड से ग्रोसरी आईटम इनकी खुदरा दरों से क्रय करने का प्रावधान विहित है।

इस क्रम में कोविड-19 के अन्तगत विद्यालय बंद रहने की अवधि तक के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियो को दालए तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैक एक साथ राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर (कॉनफैड) से क्रय किये जाने हेतु

वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत की गई। वित्त विभाग द्वारा पत्रावली निम्नलिखित टिप्पणी के साथ लौटाई गई।With referenc to para at 1-17/N,ND is advised to take decision at its own level under RTPP Act/Rules, this bears approval at competent leve in fd.

इसके पश्चात् प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा द्वारा आरटीपीपी के प्रावधानो का पालन करते हुये प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गयेः-1.आयुक्तालय मिड डे मिल के प्रतिनिधि के तौर पर लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी को कॉनफैड की क्रय समिति के सदस्य नामित किये जायेंगे, 2.आयुक्त मिड डे मिल एनएबीएल प्रयोगशालाओ से सैम्पल जांच द्वारा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। 3.विभागीय अधिकारी एवं शिक्षको को सामग्री के विद्यालयो एवं विद्यार्थियो तक पहूंचने के भौतिक सत्यापन के कार्य में शामिल किया जायेगा।, 4.जहां तक संभव हो सके शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियो को एसएमएस के द्वारा वितरण के लिये सूचित किया जायेगा। शिकायत निवारण हेतु 181 कॉल सेन्टर का प्रयोग भी किया जा सकता है। उक्त निर्देशो के साथ पत्रावली माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा अनुमोदन किया गया।

उक्त निर्देशो की अनुपालना में प्रवन्ध निदेशक, कॉनफैड को दिनांक 04 दिसम्बर 2020 को वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया। उक्त बैठक मे कॉनफैड की उपापन समिति मे आयुक्तालय मिड डे मिल के लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी अति. आयुक्त (वित्त) को सदस्य के रूप मे नामित करने हेतु निर्देशित किया गया।

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा संभावित संस्थागत आपूर्ति संबंधी कार्य के लिए किसी भी संस्था/फर्मो/कम्पनियो को सीधे कोई टेण्डर जारी नही किया गया अपितु ई-प्रोक के माध्यम से व्यावसायिक आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 18"बोली लगाने वालो की पूर्व-अर्हता" एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 31 "पूर्व-अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना" जिसमें "उपापन की विषय-वस्तुए जिसकी बारम्बार आवश्यकता हो किन्तु विषय-वस्तु के ब्योरे, उसकी मात्राए समय और स्थान पहले से ज्ञात न होए के लिए बोली लगाने वालो का एक पैनल तैयार कर सकेगी।" के अन्तगत एम्पेनलित किया जाता है।

प्रवन्ध निदेशक कॉनफैड द्वारा यह अवगत कराया गया कि कॉनफेड द्वारा ग्रोसरी आईटम एवं अन्य उपभोक्ता सामग्री के व्यवसाय हेतु आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार फर्म संस्थाओ को पैनेलित करने हेतु दिनांक 20.10.2020 को ही ई-निविदा आमंत्रित कर ली गई थी। दिनांक 2.11.2020 को कॉनफेड द्वारा ई-बिड खोली गई जिसमें निम्न संस्थाओं द्वारा भाग लिया गया। 1.केन्द्रीय भण्डार, 2.नेफेड, 3.नेकॉफ, 4.एनसीसीएफ। उपरोक्त में से नेफेड के अतिरिक्त तीन संस्थाओं को दस्तावेज बिड की शर्तो के अनुसार सही पाया गया।

उक्त समस्त कार्यवाही कॉनफैड की क्रय समिति मे प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा के निर्देशो के तहत अतिरिक्त आयुक्त, मिड डे मिल के 10 दिसम्बर 2020 को जारी आदेश से पूर्व कॉनफैड द्वारा सम्पादित की जा चुकी थी।

दिनांक 10 दिसम्बर 2020 को कॉनफैड द्वारा श्री धूपेन्द्र कुमार जैनए अतिण् आयुक्त (वित्त) को उपापन समिति मे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया।

दिनांक 11.12.2020 को कॉनफैड की उपापन समिति की बैठक आयोजित की गई वित्तीय बोली को दिनांक 16.12.2020 को खोले जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक मे आयुक्तालय, मिड डे मिल के प्रतिनिधि के रूप में अति. आयुक्त (वित्त) उपस्थित थे।

कॉनफैड के मार्केटिंग अनुभाग द्वारा दिनांक 17.12.2020 के द्वारा मार्केट सर्वे की दरें कॉनफैड की उपापन समिति को भिजवाई गई इन दरो तुलनात्मक विश्लेपण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु 18 दिसम्बर को उपापन समिति की बैठक आयोजित की गई।

आयुक्त के पत्र क्रमांक 503 दिनांक 7-12-2020 द्वारा 07 प्रकार की खाद्य सामग्री की दरें मांगी गई। उक्त के क्रम मे कॉनफैड द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 धारा 18 एवं नियम 2013 के नियम 31 में पूर्व-अर्हता पैनलित राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं से पत्र क्रमांक 6342-48 दिनांक 11-12-2020 के द्वारा प्रावधानों के अन्तगत ई.प्रोक पर वित्तीय बोली के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये तथा वित्तीय बोली मे वर्णित सामग्री की वित्तीय दरो के साथ सामग्री के 03 सेम्पल तथा सामग्री की एनएबीएल से प्राधिकृत प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मांगी गई। वित्तीय बोली दिनांक 16-12-2020 को सांय 4 बजे उपस्थित पूर्व-अर्हता निम्न तीनो बोलीदाताओं के समक्ष उपापन कमेटी द्वारा खोली गई:-1. केन्द्रीय भण्डार, 2.नेकॉफ,3.एनसीसीएफ। उक्त तीनो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा वित्तीय दरे प्रस्तुत की गयी। उपापन समिति द्वारा नियमानुसार दरो हेतु नेगोशियेशन किया गया। जिसके उपरान्त पूर्व-अर्हता बोलीदाता द्वारा अन्तिम दरे प्रस्तुत की गयी। वित्तीय बोली मे प्राप्त दरो पर कॉनफैड का मार्जिन 2.25 प्रस्तावित कर आयुक्तालय, मिड डे मील को अनुमोदन करने तथा कार्यादेश जारी करने हेतु प्रेषित की गयी। आयुक्तालय, मिड डे मील द्वारा आपूर्ति के लिये कार्यादेश क्रमांक 537 दिनांक 18-12-2020 द्वारा जारी किया गया। जिसकी पालना मे कॉनफैड द्वारा पूर्व-अर्हता बोलीदाताओ को दिनांक 23 एवं 24-12-2020 को आयुक्तालय मिड डे मील के दिशा निर्देशो की पालना करते हुए आपूर्ति आदेश दिये गये।

इस बैठक के क्रम मे कॉनफेड द्वारा दिनांक 18-12-2020 को दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पेकिट्स की विद्यालयो तक डोर स्टेप डिलीवरी की आपूर्ति की दरे विभाग को भिजवाई गई। जिसके आधार पर आयुक्तालय मिड डे मिल द्वारा प्रथम चरण (दिनांक 14 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के 94 दिवस) के लिये 57,76,045 विद्यार्थियो को कॉम्बो पेकिट्स उपलब्ध कराने हेतु कॉनफेड को क्रय आदेश जारी किया गया।

उक्त सप्लाई हेतु निर्देश जारी किए गए कि कॉनफैड यह सुनिश्चित करेगा कि दाल, तेल, मसाले आदि उच्च गुणवत्तांपूर्ण एवं एफएसएसएआई के मानको के अनुसार हो तथा मसाले एगमार्क के हो। सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में कॉनफैड द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री के रेन्डम सेम्पल की एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराकर रिपोर्ट एक प्रति जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे। कॉनफैड सामग्री एफएसएसएआई के मानको अनुसार व मसाले ऐगमार्क के उपलब्ध करायेगी। कॉम्बो पैक मे नमक (फोर्टीफाईड) एवं तेल (विटामिन, एवं डी) सहित हो इसकी सुनिश्चितता की जायेगी। मिड डे मील विभाग द्वारा सामग्री के रेन्डम सैम्पल की जांच सरकारी

प्रयोगशाला से करवाई जा सकेगी। कॉनफैड द्वारा विद्यालयो में आपूर्ति के समय पर भी विद्यालय के संस्था प्रधान एवं मिड डे मील प्रभारी कॉम्बो पेकिट प्राप्त करने से पूर्व इनकी अवश्य जांच कर लेवें।

जिंला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयो के संस्था प्रधान का नाम एवं सम्पर्क सूत्र व विद्यालय का रूट चार्ज कॉनफैड को तत्काल उपलब्ध करायेंगे। विद्यालयो में कॉम्बो पेकिट्स की आपूर्ति कार्य दिवस मे की जायेगी तथा संस्था प्रधान को एक दिवस पूर्व परिवहन ठेकेदार द्वारा अवगत कराया जायेगा। कॉनफैड के अधिकृत परिवहन ठेकेदार दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पेकिट संस्था प्रधान/मिड डे मील प्रभारी को उपलब्ध कराकर इसकी प्राप्ति रसीद/चालान पांच प्रतियो मे प्राप्त करेगा। एक प्रति विद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। संस्थाप्रधान /पोषाहार प्रभारी पेकेट्स एवं मात्रा की गणना, सामग्री के ब्राण्ड के मिलान उपरान्त ही परिवहन ठेकेदार को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेगे। प्राप्ति रसीद पर विद्यालय का नाम, हस्ताक्षर मय सील, नाम एवं पदनाम एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं पेकिट की संख्या स्पष्ट तौर पर अंकित किये जायेगे। विद्यालय द्वारा प्राप्त पेकिट्स का विद्यालय के स्टॉफ रजिस्टर में इन्द्राज किया जायेगा। स्टॉक प्रविष्ठि के पृष्ठ संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्राप्त सामग्री की रसीद/चालान मे किया जायेगा। संस्था प्रधान द्वारा उक्त पेकिट्स का वितरण विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को किया जायेगा। पीईईओ/शहरी नोडल अपने परिक्षेत्र के विद्यालयो में कॉम्बो पेकिट्स के वितरण का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर पर्यवेक्षण करेंगे। विद्यालय मे कॉम्बो पेकिट्स का वितरण विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को वितरण की दैनिक सूचना पीईईओ/शहरी नोडल को भिजवायेंगे। संबंधित पीईओ/शहरी नोडल अपने परिक्षेत्र की सूचना को समेकित कर सीबीईओ को भिजवायेंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उक्त सूचना को समेकित कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा को भिजवायेंगे। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को खाद्यान्न वितरण के संबंध में जारी किये गये निर्देशानुसार ही दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पेकिट्स का वितरण किया जाये। काम्बो पेकिट्स सर्वप्रथम उन विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को किया जाये जिन्हे इस अवधि मे खाद्यान्न का वितरण किया गया है। विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को वितरण की प्राप्ति रसीद एवं आवश्यक रिकार्ड विद्यालय मे संधारित किये जायेगे। संबंधित प्रभारी एवं संस्था प्रधान कॉम्बो पेकिट्स का वितरण की प्राप्ति रसीदो को प्रमाणित कर पीईईओ को समेकित सूचना उपलब्ध करायेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशानुसार सोसल डिस्टेन्स नॉम्र्स की पालना करते हुये कॉम्बो पेकिट्स का वितरण किया जाये। कॉम्बो पेकिट्स के वितरण के महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरे भी ली जाये तथा यथा संभव शॉर्ट मूवी भी तैयार की जाये जो विभाग को भी भिजवाई जाये। उक्त कार्य के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु मिड डे मील विभाग के उपायुक्त नोडल अधिकारी रहेगे। कॉम्बो पेकिट्स वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है। विद्यार्थियो के माता पिता/अभिभावको को उपलब्ध कराये जा रहे पेकिट्स की प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रपत्र में रखे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियो को पेकिट्स का वितरण एवं राशि व्यय की सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर समेकित करने के उपरान्त आयुक्तालय मिड डे मील को भेजेगे। कॉम्बो

पेकिट्स के वितरण उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रांरभिक शिक्षा निर्धारित प्रपत्र में सूचना आयुक्तालय मिड डे मील को भेजेगे।

राजस्थान सरकार ने खाना पकाने की लागत के बराबर खाना पकाने की सामग्री (दाल, तेल, मसाले आदि) वितरित करने का निर्णय लिया। इसे खाद्यान्न के अलावा कॉम्बो पैकेट में वितरित किया गया। नीचे तालिका 1 में दिए गए विवरण के अनुसार 14 मार्च 2020 से 08 मार्च 2022 के दौरान पांच चरणों में रूपये 2023.91 करोड़ मूल्य के लगभग 3.12 करोड़ कॉम्बो पैकेट प्रदान किए गएः

Table 1: Number and cost of combo pakets supplied during five phases

phse no-	work order no and date	Period covered in phases	Number of students enrolled (in lakh)	Number of combo packets supplied (in lakh)	Cost of combo packets (in crore)
1	537/18-12-2020	14.03.2020 to 30.06.2020 (90 days)	59.81	59.81	319.61
2	851/31-3-2021	01.07.2020 to 31.03.2020 (209 days)	59.81	59.81	716.56
3	345/17-09-2021	01.04.2021 to 31.08.2021 (121 days)	59.81	59.81	420.19
4	583/03-12-2021	01.09.2021 to 08.03.2021 (65 days)	66.22	66.22	249.22
5	1042/24-01-2023	01.12.2021 to 08.03.2023 (95 days)	66.22	66.22	318.33
		total	311.95	311.95	2023.91

मिंड डे मील योजनान्तगत कॉम्बो पैक की विद्यालय स्तर पर आपूर्ति के चालान पर प्राप्ति मय मुहर विद्यालय स्तर पर संबंधित मिड डे मील प्रभारी/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा दी जाती थी। इस प्रकार समस्त ब्लॉक के प्राप्ति चालान मय समरी शीट, लैब रिपोर्ट, इनवाईस सहित कॉनफैड को प्राप्त होती थी। जिसे कॉनफैड स्तर पर वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चैक करने के उपरान्त मय फारवर्डिंग लेटर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किये जाते थे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उक्त बिलो को मिड डे मील कार्यालय के आदेशानुसार चैक करते हुये, यदि कोई कटौती हो तो को करते हुये, संबंधित कोषाधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को भुगतान हेतु भिजवाये जाते थे। भुगतान स्वीकृत होने पर संबंधित जिला कोषालय से भुगतान कॉनफैड को प्राप्त होता था।

कॉम्बो पैकेट की रेन्डम जांच लेब जगदम्बा लेबोरेटरी, आऐसिस टेस्ट हाउस लिमिटेड एवं ओमेगा टेस्ट हाउस के द्वारा की गयी।

कॉनफैड द्वारा मिड-डे मील योजना मे स्वयं के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही-

दिनांक 05.08.2020 को कानफैड द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में एक कार्यालय टिप्पणी आरम्भ की गई जिसमें अंकन किया गया कि सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं तथा मिड डे मिल इत्यादि के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रवासोंए मिड-डे-मिल तथा कोविड-19 के चलते यह भी संभावना है कि कभी भी किसी विभाग द्वारा कॉनफैड को तत्काल आधार पर आपूर्ति आदेश दिये जा सकते हैं। अतः इस प्रकार के कार्य को सम्पादित करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

राजस्थान में खरीद प्रक्रिया के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के लागू होने के पश्चात संघ की व्यवसायिक नियमावली में परिवर्तन किया गया। उक्त नियमावली को कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के पत्र क्रमांक फा.11/सविरा/उप/2/2017/आरटीपीपी दिनांक 04.01.2019 के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त हुआ जिसे प्रबन्ध संचालक. उपभोक्ता द्वारा आदेश क्रमांक 16835-16840 दिनांक 28.01.2019 के माध्यम से समस्त अनुभागों को प्रेषित किया गया। व्यवसायिक नियमावली 2016 में संघ के नियमित व्यवसाय के लिए आरटीपीपी एक्ट एवं नियम का विवरण देकर कार्य किये जाने का उल्लेख है।

संघ में लागू व्यवसायिक नियमावली 2016 के अन्तिम पृष्ठ पर ऐसे आदेशों को आपूर्ति के लिए निविदा अथवा ई-निविदा के माध्यम से कार्य सम्पादन का लिखा गया है। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया में संघ को पुनः निविदाएँ आमंत्रित करनी होती है। जबकि कई विभाग संघ को आवंटित कार्य अथवा उनके द्वारा आमंत्रित निविदाओं में यह शर्त रखते है कि कार्य को सब-लेट नहीं किया जा सकेगा।

उक्त अवस्था में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 31 में पूर्व अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करना (Empanelment by pre& qualification process) के माध्यम से जिसमें पूर्व में पैनल तैयार किया जाता है तथा कार्य प्राप्त होने पर पैनलित बोली लगाने वालों में से उन सभी को वित्तीय बोली के साथ प्रस्तावों के लिए अनुरोध भेजने हेतु कहा जाता है। प्रस्तावित प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 2013 के अन्तर्गत हैए किन्तु संघ की व्यवसायिक नियमावली में उक्त प्रकार की व्यवस्था का अभाव है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमए 2013 के नियम 31 के अन्तर्गत पूर्व अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनलित करने की प्रक्रिया में संशोधन का अंकन किया गयाः

संघ के व्यवसाय की प्रकृति, जिसमें उपापन की विषय-वस्तु जिसकी बारम्बार आवश्यकता हो किन्तु विषय-वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्राए समय और स्थान पहले से ज्ञात न होए के लिए बोली लगाने वालों का एक पैनल तैयार कर सकेगी।

कुछ निश्चित उपभोक्ता एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति राजस्थान के छोटे छोटे स्थलों पर डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति के आदेश प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे संस्थागत आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता भी पृथक उच्चतर मापदंड के होंगेए जिन्हें पूर्व में इस प्रकार के कार्य करने का

214

अनुभव हो, अग्रिम पूंजी का नियोजन कर सके, स्वयं का आधारभूत ढांचा हो कि जिसमें वांछित मात्रा पैकिंग कर विभिन्न सामग्री का कॉम्बो पैक बनाकर सुदृढ परिवहन व्यवस्था से छोटे-छोटें दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाकर सुपुर्दगी दे सके।

दिनांक 06.08.2020 को प्रवन्ध संचालक कानफैड श्री वी.के वर्मा ने अंकन किया कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माननीय मंत्री महोदय माननीय राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवम् माननीय राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) शिक्षा विभाग, को पत्र/कार्यालय टिप्पणी प्रेपित कर उनके विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं में खाद्य एवम् अन्य उपभोक्ता सामग्रियों का व्यवसाय कॉनफेड़ को देने का अनुरोध किये जाने का अंकन किया गया

उक्त नोटशीट पर इसी क्रम दिनांक 17-08-2020 को अंकन किया गया कि कोविड-19 के कारण राज्य में विधालय 14 मार्च 2020 से बन्द है। संघ द्वारा 30 जून 2020 की अवधि के लिए अध्ययनरत विधार्थियों को कन्वर्जन कॉस्ट/कुकिंग कन्वर्जन राशि के मूल्य के बराबर दाल/तेल/मसाले इत्यादि का प्रस्ताव प्रेपित किया गया था। जिसमें प्रतिदिन कक्षा 01 से 05 के लिए 4.97 /- रूपये प्रतिदिन प्रति छात्रनुसार तथा कक्षा 06 से 08 तक के लिए रूपये 7.45 /- प्रतिदिन प्रति छात्र प्रस्ताव भेजे गये थे। जिसके क्रम मे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता 7-8-2020 को शासन सचिवालय में कमेटी कक्ष में बैठक हुई। जिसमें विद्यार्थियो के माता पिता के बैंक खातो में सीधे ही राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 30-9-2020 की नोटशीट के अनुसार आयुक्त महोदय मिड-डे मील द्वारा पत्र प्रेषित कर कक्षा 01 से 05 तक के विद्यार्थियो के लिए राशि प्रति विद्यार्थी 698.88 /- रूपये के हिसाब से तथा कक्षा 06 से 08 के लिए 1047.54 /- रूपये के हिसाब से सुखी राशन सामग्री के कॉम्बो पैक 33 जिलों मे 66341 विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी करने के लिए तीन दिन में सहमति एवं असहमति चाही गई। तत्पश्चात् इस प्रकार के कार्य के क्रियान्वयन के लिए आपूर्तिकर्ताओ को इम्पेनलमेन्ट की प्रक्रिया राजस्थान उपापन में पारदर्शित नियम 2013 के नियम 31 के अनतर्गत पूर्व-अर्हता प्रक्रिया द्वारा पैनेलित करना अंकित किया गया है। जिसके क्रम मे दिनांक 6.10.2020 की नोटशीट के अनुसार उक्त कार्य के लिए सहमति मिड.डे मील को भिजवा दिए जाने का अंकन है। तत्पश्चात् दिनांक 14.10.2020 को टेण्डर दस्तावेज तैयार कर टेण्डर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जिस पर अग्रिम टिप्पणी दिनांक 15.10.2020 को अंकित किया गया है कि मिड-डे मील द्वारा कॉनफैड को बुलाये जाने की प्रवल संभावना है और बिड दस्तावेज तैयार कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए गए।वित्त अधिकारी महोदय द्वारा दस्तावेजो को अनुमोदित कर नोटशीट पर हस्ताक्षर किए गए और नोटशीट पैरा 90 /एन के क्रम में उक्त अनुमोदित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाने का अंकन किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 2-11-2020 को संघ द्वारा ई-बिड खोली गई जिसमें नेफेड, केन्द्रीय भण्डार, एनसीसीएफ और नाकोफ ने भाग लिया। जिसमें संबंधित फर्मो द्वारा संलग्न किए गए दस्तावेजो को डाउनलोड कर तकनीकी विवरण पत्र चैकलिस्ट एवं बिड की शर्तो के अनुसार चैक किया गया तो केन्द्रीय भण्डार, एनसीसीएफ और नाकोफ के दस्तावेजो को सही माना गया तथा नेफेड द्वारा निविदा में शामिल

होने के समय संलग्न किए गए दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए दिनांक 04.12.2020 को यह अंकन किया किः-

1. नेफैड द्वारा ई-प्रोक पर बोली दस्तावेज (बिड फॉर्म) के समस्त बिना हस्ताक्षर तथा बिना मोहर के ई-प्रोक पर अपलोड किये गये हैं।

2. बिना हस्ताक्षर अपलोड किये गये दस्तावेजों के आधार पर निविदा की नियम एवं शर्तो की सहमति नहीं माना जा सकता।

3. नेफैड द्वारा ई.प्रोक पर स्वयं सत्यापित दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये।

4. अनुबंध के प्रारूप को पृथक से हस्ताक्षर सहित अपलोड कराने की यह मंशा थी कि संस्था को अनुबंध की नियम एवं शर्ते स्वीकार्य है किन्तु नेफैड द्वारा यह नहीं किया गया।

5. नेफैड द्वारा प्रतिभूति से छूट का घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया गया है।

6. नेफैड द्वारा ई-प्रोक पर अपलोड की गई बैलेन्स शीट में शेयर कैपीटल मद में अनुसूची 1 डालकर शेयर कैपीटल मद में 27 करोड़ रूपये दर्शाये गये है। उक्त से शेयर धारकों के नाम तथा पहचान स्पष्ट नहीं होती है। नेफैड में सरकार की अशपूजी है या नहीं, इसका कोई पृथक से विवरण नहीं दिया गया है।

उक्त तथ्यों तथा ई-प्रोक में दिये गये दस्तावेजों के आधार पर नेफैड तकनीकी रूप से इस बिड की योग्यता पूर्ण नहीं करता। उक्त टिप्पणी प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा पत्रावली पर दिये गये निर्देशों के क्रम मे दी गई।

तत्पश्चात् मिड-डे मील के आदेश क्रमांक 537 दिनांक 18-12-2020, 851 दिनांक 31-3-2021, 345 दिनांक 17-09-2021; 583 दिनांक 03-12-2021 एवं 1042 दिनांक 24-01-2023 द्वारा कॉनफैड को कॉम्बो पेकिट्स वितरण के आदेश दे दिए गए।

कॉनफैड द्वारा निकाली गई ई-निविदा में शामिल नही किए जाने के उपरान्त नेफेड द्वारा न्यायालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर में अपील करने पर तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा निर्णय करते हुए नेफेड की अपील निरस्त कर दी गई।

मिड-डे मील तथा कॉनफैड द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही की नोटशीट तथा संलग्न किए गए दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो पाया गया किः-

जब महामारी घोषित की गई और राजस्थान में स्कूल बंद कर दिए गए, तो राजस्थान सरकार ने मध्याह्न भोजन के नियमों को लागू करने और पके हुए मध्याह्न भोजन के बदले खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने के लिए कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। भारत सरकार द्वारा दो अनुस्मारक (मार्च और अप्रैल 2020 में) भेजे गए थे। अंततः मुख्य सचिव ने 9 जून 2020 को एक बैठक बुलाई और खाना पकाने की लागत के बदले चना दाल के रूप में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया। चना दाल की खरीद नैफेड से की जानी थी। राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा स्कूलों को खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की आपूर्ति की जानी

216

थी जो फिर इसे छात्रों को वितरित करेगा। लेकिन खाद्य सुरक्षा भत्ता का निर्णय लेने मे मिड डे मील द्वारा जानबुझकर देरी की गई।

भारत सरकार द्वारा 31 जुलाई 2020 को तीसरा अनुस्मारक जारी किया गया जिसमें राज्यों को 10 अगस्त 2020 तक खाना पकाने की लागत के बदले में दालें या खाना पकाने की सामग्री वितरित करने की सलाह दी गई। मुख्य सचिव ने 7 अगस्त 2020 को एक बैठक बुलाई और छात्रों को खाना पकाने की लागत का भुगतान करने का निर्णय लिया लेकिन मिड डे मील ने इस बहाने से कि शिक्षा विभाग के पास अभिभावकों के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध नहीं है इसलिए बैंक खातो में प्रत्यक्ष (DBT) नहीं हो सकेगा। मिड डे मील ने विभिन्न तरह के कारणों से पत्रावली को पेंण्डिग रखा।

सितंबर 2020 में, खाद्यान्न वितरण शुरू होने के तीन महीने बाद, राजस्थान सरकार ने खाना पकाने की लागत के बदले दाल, खाद्य तेल, नमक और मसाले (कॉम्बो पैक में) जैसी खाना पकाने की सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया। कॉम्बो पैकेट में चना दाल भी शामिल थी। 30 सितंबर 2020 को आयुक्त मिड-डे मील ने कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिए सीधी खरीद (प्रतिस्पर्धी बोली के बिना) के लिए आरटीपीपी के तहत अधिसूचित एजेंसियों से संपर्क किया। राज्य सरकार की चार अधिसूचित एजेंसियों (राजफेडए कॉन्फेडष्, तिलम संघ और राजस्थान खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड) में से केवल कॉन्फेड ही कॉम्बो पैकेटों की आपूर्ति के लिए सहमत हुई।

CONFED के पास आवश्यक कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए इसने कार्य को उप-ठेके पर देने के लिए अक्टूबर 2020 में खुली प्रतिस्पर्धी बोली (ई-खरीद) शुरू की। एनसीसीएफए एनएसीओएफ और केन्द्रीय भंडार की बोलियां स्वीकार कर ली गईं। NAFED बोली लगाने वालों में से एक था, लेकिन अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण के आधार पर इसकी बोली खारिज कर दी गई थी। वित्तीय बोली में एनसीसीएफ ने चरण-1 के तहत वितरित किए जाने वाले कॉम्बो पैकेट की न्यूनतम लागत कक्षा 1 से 5 के लिए 449.93 और कक्षा 6 से 8 के लिए 661.49 बताई थी। अन्य दो एजेंसियों NACOF और केंद्रीय भंडार ने इन दरों को स्वीकार किया। कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिए दिसंबर 2020 में CONFED द्वारा तीनों एजेंसियों का चयन किया गया था।

कॉन्फेड द्वारा अपनी उपठेकेदारी प्रक्रिया पूरी करने के बादए चरण 1 के तहत कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिए 18 दिसंबर 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा कॉन्फेड को ऑर्डर दिए गए। कॉम्बो पैकेट की डिलीवरी 9 जनवरी 2021 से शुरू हुई।

NAFED को सूची में शामिल करने के लिए 2013 की RTPP अधिसूचना को जून 2020 में ही संशोधित किया जा सकता था। वैकल्पिक रूप से, आपातकालीन (महामारी की स्थिति) में व्यापक जनहित में आरटीपीपी नियमों में प्रक्रियात्मक अपवाद किया जा सकता है। हालाँकि, CONFED को आदेश दिए जाने के बाद मार्च 2021 में NAFED को अधिसूचित सूची में शामिल किया गया था।

217

आरटीटीपी अधिनियम, 2012 की धारा 28 के तहत एकल स्रोत खरीद या प्रतिस्पर्धी बातचीत के माध्यम से चना दाल की खरीद NAFED से की जा सकती थी। लेकिन एमडीएम ने ऐसा नहीं किया।

कॉन्फेड के पास कॉम्बो पैकेट (चना दाल सहित) की आपूर्ति करने की क्षमता नहीं थी। मिड डे मील ने मिली भगत कर कॉन्फेड को खुली निविदा के माध्यम से बैक-टू-बैक उपठेका व्यवस्था बनाने के लिए दो महीने का समय दिया। बोली प्रक्रिया में NAFED की बोली को मनमाने और तुच्छ आधार पर खारिज कर दिया गया।

CONFED द्वारा नेफेड को प्रक्रिया से हटाने के कारणों मे अंकित किया है कि NAFED ने बोली सुरक्षा छूट घोषणा प्रस्तुत नहीं की थी। कॉनफैड का नेफेड को निविदा से हटाने का यह गलत कारण था क्योंकि नेफेड ने कहा था कि केंद्र सरकार की सहकारी समिति होने के नाते उसे बोली सुरक्षा जमा करने से छूट थी।

CONFED द्वारा दिया गया दूसरा कारण यह था कि NAFED ने बांड पेपर पर मसौदा समझौते की हस्ताक्षरित प्रति जमा नहीं की थी जबकि निविदा दस्तावेज की शर्त संख्या 57 के अनुसार केवल एक सफल बोलीदाता को ही एक समझौते को निष्पादित करना होता है।

तीसरा कारण यह था कि NAFED ने जीएसटी पंजीकरण की सत्यापित और मुद्रांकित प्रतियां अपलोड नहीं कीं जबकि यह सामान्य रूप से विदित था कि नेफेड केन्द्र सरकार की सहकारी समिति और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होने के नाते NAFED ने जीएसटी के तहत पंजीकरण तो निश्चित रूप से है और कॉनफैड द्वारा NAFED को पंजीकरण फॉर्म अपलोड करने के लिए समय दिया जा सकता था।

दिसंबर 2020 में CONFED द्वारा NAFED को अस्वीकार करने के उपरोक्त कारणो के अतिरिक्त कॉनफेड का गलत तरीका इस तथ्य से स्पष्ट है किए NAFED तीन महीने बाद मार्च 2021 में आरटीपीपी की अधिसूचित सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त पाया गया था।

भारत सरकार ने 29 अप्रैल 2020 के अपने निर्देशों में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि खाना पकाने की लागत के बदले दाल, तेल आदि वितरित किया जा सकता है परन्तु आदेशो में देरी की गई ताकि मनवांछित काम किया जा सके।

अधिसूचित एजेंसियों से सीधी खरीद के नियम (आरटीपीपी के नियम 32)में कहा गया है कि खरीद इकाई ऑर्डर देने से पहले खरीद समिति के माध्यम से दरों पर बातचीत करेगी। थोक खरीदारी करते समय समान ब्रांडों की वस्तुओं की बाजार दरों को ध्यान में रखा जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुक्त, एमडीएम ने कॉम्बो पैकेट की खरीद के लिए एक खरीद समिति का गठन किया (दिसंबर 2020)। हालाँकि, एमडीएम समिति ने कोई बाज़ार सर्वेक्षण नहीं किया।

कॉन्फेड के विपणन अनुभाग ने 17 दिसंबर 2020 को वस्तुओं का एक बाजार सर्वेक्षण कियाए लेकिन उप-अनुबंधित फर्मों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कॉम्बो पैकेट की लागत को अंतिम रूप देते समय इन बाजार दरों पर विचार नहीं किया गया। कॉन्फेड ने प्रथम चरण के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 436.73 और कक्षा 6 से 8 के लिए 653.06 पर कॉम्बो पैकेट की पेशकश की।

S.NO	Name of commodity	Cost charged by CONFED for each combo packet		Cost of each combo packet at market rates as per cag audit		cost of each combo packet offerd by NAFED		Cost of each combo packet rates prevailing in market as per market survey done by confed itself	
		Class 1-5	Class 6-8	Class 1-5	Class 6-8	Class 1-5	Class 6-8	Class 1-5	Class 6-8
1-	Chana dal	144.22	360.55	150.48	376.20	120.00	300.00	128.30	320.75
2-	Edible Oil	125.28	125.28	128.44	128.44	128.00	128.00	125.48	125.48
3-	Coriander Powder Red Chilli Powder	49.93	49.93	26.87	26.87	21.00	21.00	24.00	24.00
4-	Red chilli powder	38.10	38.1	44.07	44.07	39.80	39.80	38.85	38.85
5-	Turmeric Powder	38.11	38.11	26.87	26.87	21.00	21.00	23.20	23.20
6-	Jeera	25.07	25.07	20.42	20.42	19.95	19.95	17.50	17.50
7-	Salt	16.02	16.02	18.41	18.41	11.00	11.00	18.00	18.00
	TOTAL	436.73	653.06	415.56	641.28	360.75	540.75	375.33	567.78

दरों की उक्त तालिका के अवलोकन तथा दरो के परस्पर अन्तर से स्पष्ट है कि CONFED ने प्रथम चरण के लिए कक्षा 1 से 5 तक कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति 436.73 प्रति पैकेट (डिलीवरी शुल्क को छोड़कर) की कीमत पर की जबकि तत्समय बाजार मूल्य पर कॉम्बो पैकेट की लागत 415.56 प्रति पैकेट है। इसी प्रकार, CONFED ने प्रथम चरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति रूपये 653.06 प्रति पैकेट (डिलीवरी शुल्क को छोड़कर) की कीमत पर की जबकि तत्समय बाजार में प्रचलित रेट के हिसाब से उसी कॉम्बो पैकेट की कीमत रूपये

उपरोक्त तालिका में वर्णित कोम्बो सामग्री का मूल्य (कीमत) बाजार की प्रचलित 641.28 प्रति पैकेट आती है।खुदरा दरो एवं नैफेड द्वारा प्रस्तावित दरों से कॉनफेड की दरो की तुलना स्पष्ट करती है कि क्रय आदेश जो वृहद स्तर की खरीद थी वो बाजार की खुदरा दरो से भी बहुत अधिक थी। नैफेड की प्रस्तावित दरें क्रय आदेश से 21 प्रतिशत तक कम थी इसलिये नैफेड को टेक्नीकल बीड से तुच्छ कारणों पर हटाया गया।

यह दर तुलना इस तथ्य को स्थापित करती है कि CONFED को ऑर्डर देने से विभाग को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिला।

CONFED द्वारा कॉम्बो पैकेटों की डिलीवरी में देरी कि गई जिसमें प्रथम चरण में 60 दिनों की निर्धारित समयावधि के विपरीत डिलीवरी 90 दिनों में पूरी हुई, यानि प्रथम चरण में एक महीने की देरी तथा द्वितीय चरण में 90 दिनों की निर्धारित डिलीवरी के बजाय डिलीवरी 180 दिनों के बाद पूरी हुई, यानी द्वितीय चरण में तीन महीने की देरी हुई। इसी

219

प्रकार तीसरे चरण में निर्धारित 75 दिनों की तुलना में कॉम्बो पैकेटों के वितरण में 120 दिन लगे है अर्थात तीसरे चरण में 45 दिनों की देरी से कॉम्बो पेकेटो की आपूर्ति हुई है।

विलंब के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर परिनिर्धारित हर्जाना नहीं लगाया गया जिससे स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ताओ को आपूर्ति मे विलम्ब करने का अवसर आपसी मिली भगत कर दिया गया है।

आयुक्त एमडीएम और कॉनफेड के बीच कोई औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। केवल आपूर्ति आदेश दिए गए थे। आपूर्ति आदेशों में आपूर्ति में देरी के लिए जुर्माना निर्धारण का प्रावधान जानबूझकर नहीं किया गया।

डीईओए चित्तौड़गढ़ए जैसलमेर और श्री गंगानगर में कॉम्बो पैकेट के भुगतान वाउचर की जांच से पता चला कि कॉन्फेड को 13 स्कूलों को 369 कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के लिए 6.28 लाख का भुगतान किया गया था। हालाँकि, भुगतान वाउचर के साथ संलग्न रसीद/चालान के अनुसार इन स्कूलों को कोई कॉम्बो पैकेट नहीं मिला। इस प्रकार, कॉम्बो पैकेट की आपूर्ति के बिना कॉन्फेड को 6.28 लाख की राशि का भुगतान किया गया जो भुगतान में दोनों विभागों एवं इनके ठेकेदारों की मिली भगती दिखाता है।

कॉम्बो पेकिट्स की जांच हेतु अधिकृत लेबों से प्राप्त रिकार्ड एवं उनके निदेशको से जांच की गयी तो पाया गया कि कॉनफैड द्वारा हमारे से हमारी मान्यता तथा एफएसएसएआई के मापदण्ड के अनुसार की जाने वाली जांचो के बारे मे मौखिक जानकारी ली थी तथा मौखिक ही हमारे से मिड-डे-मिल योजना मे सप्लाई किए जाने वाले किटो के सेम्पल की जांच करने हेतु बातचीत की थी तथा हमसे हमारी लेब के मान्यताओ से संबंधित सर्टिफिकेट को देखा गया था। कॉनफेड द्वारा हमारे से एगमार्क जांच के बारे मे पूछा भी नही गया था और ना ही सेम्पल हेतु अग्रेसित पत्र में कभी एगमार्क जांच के लिए कॉनफेड द्वारा हमे लिखा गया था। इस प्रकार उक्त सभी लेबो मे कॉनफैड द्वारा कभी भी एगमार्क एवं सोयाबीन तेल मे विटामिन ए व डी का एचपीएलसी की जांच ही नही करवाई गई। उक्त लेब के प्रतिनिधियो ने बताया कि कॉनफैड के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा कभी भी किसी प्रकार सेम्पल टेस्टिग हेतु हमारी लेबो में जमा नही करवाया गया था बल्कि हमारी लेब का ही कर्मचारी संबंधित फर्मो पर जाकर संबंधित फर्मो द्वारा दिए गए किट को सेम्पल जांच हेतु लेब मे जमा करवा देता था।इस प्रकार स्पष्ट है कि कॉनफैड और मिड डे मील के जो अधिकारी सेम्पल जांच हेतु अधिकृत थे उन्होने कभी भी संबंधित फर्मो द्वारा सप्लाई किए जा रहे कॉम्बो पेकेट का भौतिक सत्यापन नही किया जो उनकी स्पष्टी रूप मिली भगत को सावित करता है।

कॉनफेड द्वारा टेण्डर प्रक्रिया मे शामिल की गयी संस्थाओं द्वारा सबटेण्डर की गयी फर्मो के संबंध मे जानकारी प्राप्त की गयीः-

1. सबटेण्डर की गई फर्मों द्वारा कोम्बो पैकेट आपुर्ति हेतु जिन स्थानों/फर्मो से सामग्री खरीद की गयी उन फर्मो के उपलब्ध लाईसेंस नम्बर से जांच की गयी तो श्यामधणी इण्डरस्ट्रीज का लाईसेंस चलन मे नही (Expire) होना पाया गया।

2. नाकोफ व केन्द्रीय भण्डार के गोदामों के बारे मे जानकारी प्राप्त की गयी तो उक्त दोनों संस्थानों के गोदाम एक ही होना पाया गया। जो इनकी आपसी मिलीभगत को दर्शाता है।

3. कॉनफेड मे नाकोफ, केन्द्रीय भण्डार, एनसीसीएफ द्वारा कॉम्बो पैक आपुर्ति हेतु अलग अलग दरे प्रस्तुत करने के बावजुद भी कॉनफेड द्वारा सबसे कम दर वाली संस्था को कार्यादेश ना देकर आनुपातिककार्यादेश उक्त तीनों संस्थाओं को दे दिया। कॉनफेड का उक्त कृत्य अपने द्वारा टेण्डर जारी की गयी तीनों संस्थाओं मे मिलीभगत को दर्शाता है।

4. सबटेण्डर की गई सांई ट्रेडिंग व एमटी एंटरप्राईजेज द्वारा कॉम्बो पैक आपुर्ति तु सामग्री खरीद की गयी फर्म योगेश ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त की गयी तो पाया गया की उक्त फर्म द्वारा दिनांक 06.01.2021 को लाईसेंस रजिस्टर्ड करवाया गया तथा दिनांक 31.7.2021 से उक्त फर्म का लाईसेंस निरस्त है और उक्त अवधि मे योगेश ट्रेडिंग द्वारा सांई ट्रेडिंग व एमटी एंटरप्राईजेज को करीब 12 करोड़ की सामग्री का बेचान किया गया है जो आपसी मिलीभगत का दर्शाता है कि योगेश ट्रेडिंग का लाईसेंस कॉम्बो पैकेट आपुर्ति के दौरान ही क्रियाशील रहा तथा बाद मे बंद करवा लिया गया।

प्राप्त पत्रावलियों एवं ई.डी. से प्राप्त सूचना के अवलोकन से मिड डे मील के स्तर पर की गई नियम विरुद्ध कार्यवाहियां निम्न प्रकार हैं-

<u>मिड डे मील</u>

1. कॉनफेड को मिड डे मील द्वारा विना निविदा किए क्रय आदेश देना विधि सम्मत नहीं था। यह S.O.-135 एवं RTPP नियमों के विपरीत था। यहां यह गौरतलब है कि कॉनफेड केवल Retail ग्रोसरी के लिए ही अनुमत है।

2. एमडीएम द्वारा जानबूझ कर क्रय प्रक्रिया शुरू करने में देरी की गई।जब मुख्य सचिव महोदय ने दिनांक 09.06.2020 की मीटिंग में नेफेड से चना दाल क्रय का निर्णय कर दिया था व एफडी ने आरटीपीपी के तहत क्रय करने की सलाह दी थी तो ओपन टेण्डर करने में कोई बाधा नहीं थी लेकिन अनेकानेक बहानों से देरी की गई। कॉम्बो पेक का प्रस्ताव कॉनफेड से सांठ- गांठ कर लाया गया। सचिव महोदय ने 152/एन व 168/एन पर डीबीटी का प्रस्ताव दिया पर इसको भी नजर अन्दाज किया गया।

3. नेफेड द्वारा 54 रूपये प्रति किलोग्राम दाल का प्रस्ताव दिया गया जबकि कॉनफेड द्वारा 61 रूपये प्रति किलोग्राम का प्रस्तावदिया गया था फिर भी कॉनफेड को ही क्रय आदेश दिया गया।

4. दिनांक 21.08.2020 को सचिव स्कूल शिक्षा ने नोटशीट पर लिखा,We Can Go For Open Procument परन्तु इसे भी नजर अन्दाज किया गया।

5. वित्त विभाग द्वारा पुनः दिनांक 12.11.2020 को लिखा गया कि आरटीपीपी नियमानुसार क्रय करें परन्तु पालना नहीं की गई।

6. मिड-डे मील क्रय समिति ने मार्केट सर्वे नहीं किये एवं बिना सर्वे किए ही क्रय आदेश दिये थे, जो आरटीपीपी के एस.ओ. 135 का उल्लंघन था।

7. क्रय आदेश की गुणवत्ता, समयबद्ध डिलीवरी, निरीक्षण आदि शर्तोंका पालन कॉनफेड व मिड डे मील द्वारा नहीं किया गया।

8. पांचवे चरण का क्रय आदेश दिनांक 24-1-2023 को दिया गया था लेकिन इससे पूर्व भारत सरकार के निर्देश जो डीवीटी के थे, दिनांक 21-12-2021 को ही प्राप्त हो गये थे। लेकिन इन्होने फर्मों से सांठ गांठ कर कॉम्बो पेकिट के आदेश जारी किये।

9. प्रथम क्रय आदेश में लिखा था कि आगे के सभी चरणों में दरे यथावत रहेगी परन्तु सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने अन्तिम क्रय आदेश बिना मार्केट सर्वे कराये आरटीपीपी नियमों के विरुद्ध नई दरों पर क्रय आदेश दे दिया था।

10. अन्तिम क्रय आदेश देने में जानबूझकर 8 माह की देरी की गई।

11. कॉनफेड की अक्षमता के कारण किसी भी चरण में सामग्री वितरण क्रय आदेश में निर्धारित अवधि में नहीं किया गया, लेकिन कमिश्नर मिड डे मील ने अवधि विस्तार बिना उचित कारण के किया।

12. कॉनफेड एवं मिड डे मील के अधिकारियों ने मिलीभगत कर सप्लाई फर्मों द्वारा दिए गये सैम्पल एवं उनकी परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।इनमें से कई लैब तो उक्त टेस्ट करने के लिए नियमानुसार सक्षम ही नहींथी। उनके पास वांछित लाईसेंस नहीं थे, किसी भी फर्म के पास एगमार्क टेस्ट करने का लाईसेंस नहीं था एवं सोयाबीन तेल में विटामिन ए व डी का एचपीएलसी टेस्ट ही नहीं कराया गया।

13. विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा रेण्डम सैम्पल लेकर सरकारी लैब से जांच करवाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जो उनकी फर्मों से मिलीभगत को दर्शाता है।

14. दिनांक 05.10.2020 व दिनांक 04.01.2023 को कॉनफेड द्वारा दी गई सैद्धान्तिक सहमति में यह लिखा है कि कॉनफेड की खुदरा दुकानों से बिना टेण्डर किए ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड किया हुआ है। लेकिन कॉनफैड द्वारा एम्पलेड फर्म से ग्रोसरी खरीदना आरटीपीपी में नोटिफाईड नही है। इस तथ्य को मिड डे मील द्वारा नजर अन्दाज किया गया।

15. आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन संस्था बोली आमंत्रित किये बिना खुदरा रूपये ग्रोसरी, नियंत्रित वस्तुओं और औषधियों की मद राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की खुदरा दुकाने या उपभोक्ता संघ के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डार, उपहार समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली से कय की जा सकती है।

16. प्रकरण में मिड डे मील/उपाचन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32, SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यदिश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था क्योंकिः- (i) परन्तु उक्त विन्दु की शर्त संख्या 2 में यह उल्लेख है कि ग्रोसरी की मदों के मामले में शक्तियों का प्राथमिक रूप से अभिप्राय आकस्मिक आवश्यकताओं और छोटे कयों के लिए है। थोक और नियमित क्रय के लिए उपापन संस्था आदेश देने से पूर्व दरों के संबंध में कय समिति के माध्यम से. बातचीत करेगी। थोक क्रय करते समय बाजार दरों को ध्यान में रखा जायेगा। उपासन संस्था मिड-डे मील द्वारा

इस शर्त का पालन नहीं किया गया। (1) उक्त बिन्दु की शर्त संख्या 1 के अनुसार सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों को इन वस्तुओं का प्राधिकृत थोक विक्रेता होना चाहिए और/या/मूल विनिर्माताओं/उत्पादकों से सीधे ही आपूर्ति प्राप्त करनी चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रत्येक बिल/कैश मैमों पर अभिलिखित किया जायेगा। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा उक्त बिन्दु की पूर्ति नहीं की गई है। सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा जारी की गई है।

17. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड-1 भाग-2 के नियम 68 के साथ संलग्न एसआर प्रारूप 16 के बिंदु 13 के अनुसार निविदा शर्तों में यह उल्लेख किया जाना चाहिए की ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सबलेट) पर नहीं देगा। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा निविदा जारी करते समय उक्त बिन्दु को ध्यान में नहीं रखा गया एवं निविदा कार्य बाद में सबलेट किया हुआ पाया गया।

प्राप्त पत्रावलियों एवं ई.डी. से प्राप्त सूचना के अवलोकन से कॉनफेड के स्तर पर की गई नियम विरुद्ध कार्यवाहियां निम्न प्रकार हैं-

कॉनफेड

1. सहकारिता मंत्री द्वारा कई मंत्रालयों को कॉनफेड को खाद्य सामग्री आपूर्ति का कार्य दिलाने को दिनांक 22.07.19 को पत्र लिखा गया। फिर Business Rules में परिर्वतन किया गया एवं नियमों में मनचाहा परिवर्तन कर MDMU ICDS के ठेके नियम विरुद्ध रूप से कॉनफेड को प्राप्त हुए।

2. कॉनफेड के Business Rules में कहीं भी फर्मों को ईम्पेनल करने का प्रावधान नहीं था। एमडीएम की आपूर्ति आदेश से कुछ माह पूर्व ही कॉनफैड ने विभागीय सांठगांठ से प्राप्त होने वाले संभावित क्रय आदेश को देखते हुए अपने खरीद नियमों में संशोधन प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाया। तत्समय कहीं भी किसी क्रयादेश का कोई जिक्र तक नहीं था।

3. कॉनफेड ने एमडीएम अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर कॉम्बोपैक का प्रस्ताव 29.06.2020 को दिया एवं स्वयं के नाम क्रय आदेश प्राप्त किया जबकि ना यह भारत सरकार की गाईडलाईन में था नाही कॉनफेड इसके लिए अधिकृत था। इसकी पुष्टि कॉनफेड द्वारा एमडीएम को दिनांक 09.0620, 09.07.20, 05.05.20 को दिए प्रस्तावों से होती है जिन्हें एमडीएम ने स्वीकार किया।

4. S.O. 135 RTPP के तहत चना के लिए राजफेड/एफसीआई नामित है एवं तेल के लिए तिलम संघ अधिकृत थे। भारत सरकार की गाईडलाईन भी यही थी। मसाले जानबूझकर जोडे गए, ताकि अन्य संस्थाएँ टेण्डर में ना आ सके।

5. एमडीएम ने क्रय आदेश में सबलेट मनाही की शर्त नहीं लिखी जबकि यह सभी विभाग लिखते हैं (कॉनफेड फाईल पैरा 3/एन) एवं रूल्स 68 GF&AR से इसकी पुष्टि होती है।

6. आगे की फेज के क्रय आदेश SAME FIRMS को SAME RATE पर करने का कोई युक्तियुक्त कारण पत्रावली पर नहीं है, जो रूल्स 31 आरटीपीपी का उल्लंघन है व इनकी सांठगांठ को दर्शाता है।

7. कॉनफेड ने इम्पेनल वाली फर्मों से मिलीभगति की एवं इन फर्मों द्वारा आपस में सांठगांठ कर मिलती जुलती रेट्स दी गई। जिस पर कॉनफेड ने दरे स्वीकार कर ली जबकि कॉनफैड के स्वयं द्वारा किए मार्केट सर्वे में दरे कम आई थी लेकिन इन्हें नजर अन्दाज किया गया।

8. सैम्पल का परीक्षण ना विधिवत करवाया ना सक्षम लेब से करवाया, जो परीक्षण में दिये वे सामग्री वितरण में नहीं दी गई।

9. NCCF, NACOF, KB ने इस कार्य को आगे सबलेट पर दिया जबकि NCCF, NACOF, KB खुद ना तो प्रोड्यूसर थे ना निर्माता ना अधिकृत विक्रेता, तो इनको EMPANEL करने का कारण सिर्फ सांठगांठ थी। इन्होंने आगे कार्य अन्य फर्मों 1 मैसर्स साई ट्रेडिंग, 2. मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, 3. मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, 4. मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज को सबलेट कर दिया।

10. कार्यादेश में एगमार्क मसाले लिखे गये पर कॉनफेड ने उनको एफएसएसएआई बना दिया। इस पर एमडीएम ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ब्राण्ड नेम की आपूर्ति की शर्त को डीडी (एमडीएम) ने बिना सक्षम स्वीकृतिके सामग्री की गुणवता में बदल दिया।

11. कॉनफेड ने अन्य फर्मों से मिलीभगति के कारण नेफेड को तकनीकी बीड में जानबूझकर अयोग्य करार दिया। CAG AUDIT ने भी यही तथ्य अंकित किया है।

12. कॉनफेड द्वारा कॉम्बोपैक में दी गई सामग्रियों में एक का भी कॉनफेड ना अधिकृत होलसेल डीलर है ना निर्माता है नाही इसके द्वारा इम्पेनल की हुई संस्थाएँ। आरटीपीपी नियमानुसार कयादेश के लिए व भुगतान के लिए ऐसा होना वांछनीय था। कॉनफेड ने व एमडीएम ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया एवं यही बात कॉनफेड को सप्लाई देने वाली तीनों फर्मों पर भी लागू होती है, इन तीनों ने इस तथ्य को जानते हुए टेण्डर में भाग लिया, अन्य फर्मों से सांठगांठ कर निम्न गुणवता का सामान प्राप्त कर उच्च दरों पर सरकार को दिया।

13. तीनों फर्मों के पास ना संसाधन थे, ना अधिकृत थी इतनी वृहद्ध मात्रामें सप्लाई को, फिर भी टेण्डर में भाग लिया और आगे कार्यों को नई फर्मों को सबलेट कर दिया, जबकि यह उनके खुद के टेण्डर शर्तों के विपरीत था।

14. सप्लाई का कार्य सबलेट की गई अंतिम फर्म द्वारा सीधे ही मिड डे मील को किया गया है जबकि कार्यादेश कॉनफेड को दिया गया था एवं गुणवता जांच एवं प्रमाणन के पश्चात ही सप्लाई की जानी थी।

इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से पाया गया है कि कॉनफेड के Business Rules में कहीं भी फर्मों को इम्पेनल करने का प्रावधान नहीं था। एमडीएम की आपूर्ति आदेश से कुछ माह पूर्व ही

कॉनफैंड ने विभागीय सांठगांठ से प्राप्त होने वाले सभावित क्रय आदेश को देखते हुए अपने खरीद नियमों में संशोधन प्रस्तावित कर स्वीकृत करवाया। तत्समय कहीं भी किसी क्रयादेश का कोई जिक्र तक नहीं था कॉनफेड ने इम्पैनल वाली फर्मों से मिलीभगति की एवं इन फर्मों द्वारा आपस में सांठगांठ कर मिलती जुलती रेट्स दी गई जिस पर कॉनफेड ने दरे स्वीकार कर ली जबकि कॉनफैड के स्वयं द्वारा किए मार्केट सर्वे में दरे कम आई थी लेकिन इन्हें नजर अन्दाज किया गया। कॉनफैड द्वारा व्यावसायिक नियमावली 2016 के बिन्दु संख्या 2 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनल किया गया जबकि मिड डे मील को किये गये आपूर्ति कार्य में विपय वस्तु के ब्यौरे, उसकी मात्रा, समय और स्थान पहले से ज्ञात न होने का तर्क कार्य की प्रकृति अनुरूप उचित नहीं है अतः व्यवसायिक नियमावली के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत फर्मों को इम्पेनलमेंट सही प्रकट नहीं होता है। कॉनफेड ने अन्य फर्मों से मिलीभगति के कारण नेफंड को तकनीकी बीड में जानबूझकर अयोग्य करार दिया। CAG AUDIT ने भी यही तथ्य अंकित किया है। एमडीएम द्वारा जारी कार्यादेश में एगमार्क मसाले लिखे गये पर कॉनफेड ने उनको एफएसएसएआई बना दिया। इस पर एमडीएम ने कोई आपत्ति नहीं की एवं ब्राण्ड नेम की आपूर्ति की शर्त को डीडी (एमडीएम) ने बिना सक्षम स्वीकृति के सामग्री की गुणवता में बदल दिया। कॉनफेड एवं निड डे मील के अधिकारियों ने मिलीभगते सामग्री की बदल दिया। कनिका परीक्षण रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इनमें से कई लैब तो उक्त टेस्ट करने के लिए नियमानुसार सक्षम ही नहीं थी। उनके पास वांछित लाईसेंस नहीं थे, किसी भी फर्म के पास एगमार्क टेस्ट करने का लाईसेंस नहीं था एवं सोयाबीन तेल में विटामिन ए व डी का एचपीएलसी टेस्ट ही नहीं कराया गया। कॉनफेड को मिड डे मील द्वारा बिना निविदा किए क्रय आदेश देना विधि सम्मत नहीं था। यह S.O.-135 एवं RTPP नियमों के विपरीत था। यहां यह गौरतलब है कि कॉनफेड केवल Retail ग्रोसरी के लिए ही अनुमत है और एमडीएम ने क्रय आदेश में सबलेट मनाही की शर्त नहीं लिखी जबकि यह सभी विभाग लिखते हैं (कॉनफेड फाईल पैरा 3/एन) एवं रूल्स 68 GF&AR से इसकी पुष्टि होती है और मिड डे मील/उपापन संस्था द्वारा आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32. SO 135 SN 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) को आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी किया गया जो विधिसम्मत नहीं था। जीएफएण्डआर के भाग 2 के नियम 68 में क्रय हेतु वर्णित प्रारूप 16 की शर्त संख्या 13 के अनुसार ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सबलेट) पर नहीं देगा जबकि एमडीएम और कॉनफेड की मिलीभगती के कारण कॉनफेड ने NCCF, NACOF, KB ने इस कार्य को आगे सबलेट पर दिया जबकि NCCF, NACOF, KB खुद ना तो प्रोड्यूसर थे ना निर्माता ना अधिकृत विक्रेता, तो इनको EMPANEL करने का कारण सिर्फ सांठगांठ थी। इन्होने आगे कार्य अन्य फर्मों 1. मैसर्स साई ट्रेडिग, 2. मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, 3. मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, 4. मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं को सबलेट कर दिया, जिन्होने कई फर्जी आपूर्तिकर्ताओ और ट्रांसपोर्टस का नेटवर्क स्थापित किया जिन्होंने विना माल की खरीद कर गैर मौजूद संस्थाओ के बिलो आदि का इन्द्राज रिकार्ड किया और अत्यधिक दरो पर सामान की पूर्ति की गई है और आपूर्तिकर्ताओं को चैक के माध्यम से भुगतान किया जाता था। बाद में आपूर्तिकर्ताओ द्वारा चैक से मिली भुगतान राशि नगद के रूप में ठेकेदार को वापस कर दी जाती थी। इस प्रकार चैक के माध्यम से फर्जी लेन देन दिखाया जाता था। खरीद और माल की आवाजाही के सत्यापन से फर्जी लेन देन से जूडी प्रक्रिया का पता

225

चलता है जिसमे पूरी तरह से गैर–मौजूद खरीद के आधार पर सरकार को बिल देना शामिल था जो धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की व्यवस्थित योजना को उजागर करती है और कानफेड द्वारा की गई उक्त सांठगांठ जिसमें गैर मौजूद संस्थाओं के फर्जी बिलों के आधार निम्न गुणवता का सामान प्राप्त कर उच्च दरों पर एमडीएम को दिया। इस प्रकार कानफेड के उक्त कार्य को एमडीएम द्वारा स्पष्ट से नजरअंदाज करते हुए कोई आपत्ति नहीं करना तत्समय पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों की तथा कानफैड के तत्समय पदस्थापित अधिकारियों की आपसी मिलीभगत से राजकोष में करीब दो हजार करोड रूपए की हानि पहुंचाना स्पष्ट है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय है। अतः उक्त कार्य में संलिप्त (1)श्री सांवतराम पुत्र श्री शिव नारायण उम्र-60 साल निवासी- मु.पो.नयाबास वाया नीमकाथाना जिला सीकरसहायक लेखाधिकारी कॉनफैड (सेवानिवृति 30.06.2025), (2) श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री डी.के.शर्मा उम्र-64 साल निवासी- 33/151 वरुण पथ मानसरोवर जयपुर प्रबंधक (ना.आपुर्ति), कॉनफैड, (सेवानिवृति दिनांक 31.12.2021 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (3) श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र श्री मानसिंह उम्र- 59 साल बापना निवासी- 246,बिंदुसार अपार्टमेंट फ्लेट नं.एफ-03 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर प्रबंधक नागरिक आपुर्ति कॉनफैड, (4) श्रीमती प्रतिभा सैनी पुत्री श्री राजेन्द्र सैनी उम्र-63 साल निवासी- एफ-127 रामनगर विस्तार एक्सटेशंन स्वेज फार्म सोडाला जयपुर हाल सहायक प्रबंधक, (सेवानिवृत दिनांक 31.08.2022) कॉनफैड, (5)श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आर.एस.शर्मा उम्र- 63 साल निवासी-803 सनसाईन सिम्पनी जयसिंहपुरा भाकरोटा जयपुर प्रबंधक (आयोजना) (सेवानीवृत दिनांक 31.10.2022 संघ सेवा से सेवानिवृत), कॉनफैड, (6) श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र स्व.श्री नारायण सिंह शेखावत उम्र-62 साल निवासी -प्लांट नम्बर 198 ऑफिसर्स केम्पस हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर प्रबंधक(सेवानिवृत दिनांक 30.04.2023), कॉनफैड, (7) श्री रामधन वैरवा पुत्र श्री गोकिवन्द नारायण वैरवा उम्र-58 साल निवासी -लक्ष्मी जनरल स्टोर ग्राम भांडारेंज दोसा , गोदाम कीपर, मार्केटिंग अनुभाग, कॉनफैड, (8) श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री भानुप्रकाश शर्मा उम्र-56 साल निवासी 43 विनोबा कॉलोनी पांच बत्ती सी-स्कीम जयपुर, सुपरवाईजर मार्केटिंग अनुभाग कॉनफैड(सेवानिवृत दिनांक 30.11.2019 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (9) श्री कवलजीत सिह राणावत (10) श्री मधुर यादव (11) श्री त्रिभुवन यादव (12) श्री सतीश मुलचंद व्यास (13) श्री दिपक व्यास (14) श्री रितेश यादव (15) श्री शैलेश सक्सैना रिजनल मैनेजर केन्द्रीय भण्डार (16) श्री बी.सी.जोशी डिप्टी मैनेजर केन्द्रीय भणडार (17) चन्दन सिंह असि.मैनेजर केन्द्रीय भणडार, (18) मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, (19) मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, (20) मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज मैसर्स (21)माई ट्रेडिग के प्रोपराईटर व अन्य के विरूद्ध 7(सी),13(1)(A),,13(2) पीसी एक्ट1988(यथा संशोधित 2018) 120 बी भादस, आरटीपीपी एक्ट (2012) की धारा 41 में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी एफआईआर क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(सुनील सिहाग)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर देहात, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी),13(1)(ए),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) 120बी भादसं, 41 आरटीपीपी एक्ट (2012) में आरोपीगण (1)श्री सांवतराम पुत्र श्री शिव नारायण उम्र-60 साल निवासी-मु.पो.नयाबास वाया नीमकाथाना जिला सीकरसहायक लेखाधिकारी कॉनफैड (सेवानिवृति 30.06.2025), (2) श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री डी.के.शर्मा उम्र-64 साल निवासी-33/151 वरुण पथ मानसरोवर जयपुर प्रबंधक (ना.आपुणत), कॉनफैड,(सेवानिवृति दिनांक 31.12.2021 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (3) श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र श्री मानऋसह उम्र- 59 साल बापना निवासी- 246,ऋबदुसार अपार्टमेंट फ्लेट नं.एफ-03 श्री गोपाल नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर प्रबंधक नागरिक आपुणत कॉनफैड, (4) श्रीमती प्रतिभा सैनी पुत्री श्री राजेन्द्र सैनी उम्र-63 साल निवासी-एफ-127 रामनगर विस्तार एक्सटेशंन स्वेज फार्म सोडाला जयपुर हाल सहायक प्रबंधक,(सेवानिवृत दिनांक 31.08.2022) कॉनफैड, (5)श्री योगेन्द्र शर्मा पुत्र श्री आर.एस.शर्मा उम्र- 63 साल निवासी-803 सनसाईन सिम्पनी जयऋसहपुरा भाकरोटा जयपुर प्रबंधक (आयोजना)(सेवानीवृत दिनांक 31.10.2022 संघ सेवा से सेवानिवृत), कॉनफैड, (6) श्री राजेन्द्र ऋसह शेखावत पुत्र स्व.श्री नारायण ऋसह शेखावत उम्र-62 साल निवासी -प्लांट नम्बर 198 ऑफिसर्स केम्पस हनुमान नगर विस्तार सिरसी रोड जयपुर प्रबंधक(सेवानिवृत दिनांक 30.04.2023), कॉनफैड, (7) श्री रामधन बैरवा पुत्र श्री गोकिवन्द नारायण बैरवा उम्र-58 साल निवासी -लक्ष्मी जनरल स्टोर ग्राम भांडारेंज दोसा , गोदाम कीपर, मार्केऋटग अनुभाग, कॉनफैड, (8) श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री भानुप्रकाश शर्मा उम्र-56 साल निवासी 43 विनोबा कॉलोनी पांच बत्ती सी-स्कीम जयपुर, सुपरवाईजर मार्केऋटग अनुभाग कॉनफैड(सेवानिवृत दिनांक 30.11.2019 को संघ सेवा से सेवानिवृत) (9) श्री कवलजीत सिह राणावत(10) श्री मधुर यादव (11) श्री त्रिभुवन यादव (12) श्री सतीश मुलचंद व्यास (13) श्री दिपक व्यास (14) श्री रितेश यादव (15) श्री शैलेश सक्सैना रिजनल मैनेजर केन्द्रीय भण्डार (16) श्री बी.सी.जोशी डिप्टी मैनेजर केन्द्रीय भण्डार (17) चन्दन सिहं असि.मैनेजर केन्द्रीय भण्डार, (18) मैसर्स तिरूपति सप्लायर्स, (19) मैसर्स जागृत एन्टरप्राईजेज, (20) मैसर्स एमटी एन्टरप्राईजेज मैसर्स (21)साई ट्रेडिग के प्रोपराईटर व अन्य के विरूद्ध घटित होना पाये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 09/2026 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू. जयपुर को मनोनीत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(पुष्पेन्द्र सिंह राठोड)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 43-47 दिनांक 07.1.2026

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नेहरू सहकार भवन,जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर रेंज।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।